न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 41/2018 राजस्व अपील

1. रामकुंवार
2. रामस्वरूप

} पिसरान श्रीया जाति मीना निवासी गुमानपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा ।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश उप तहसीलदार बहरावण्डा तह. सिकराय जिला दौसा दिनांक 12.09.2017 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामकंवार आदि प्रकरण सं. 275/2017 अ. धारा 91 राज. लैण्ड रे.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री सीताराम मीना, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

—:निर्णय :—

दिनांक: 09.05.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा ग्राम गुमानपुरा तहसील सिकराय में स्थित गैर मुमकिन नदी भूमि खसरा नंबर 774 रकबा 0.15 है0 भूमि मे से 0.10 है0 पर तिल काश्त कर व 0.05 है0 पर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 12.09.2017 पारित कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये व बिना कोई अन्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स द्वारा किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स का किसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही है। इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है।। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा ग्राम गुमानपुरा तहसील सिकराय में स्थित गैर मुमकिन नदी भूमि खसरा नंबर 774 रकबा 0.15 है0 भूमि मे से 0.10 है0 पर तिल काश्त कर व 0.05 है0 पर कब्जा कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 12.09.2017 पारित कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान अपीलान्ट्स का किसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही होना तथा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम गुमानपुरा तहसील सिकराय में स्थित गैर मुमकिन नदी भूमि खसरा नंबर 774 रकबा 0.15 है0 भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किये जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.09.2017 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official